

## एक चुनाव में दो सीटों पर चुनाव लड़ने पर रोक नहीं

### प्रलिस के लिये:

एक उम्मीदवार एक नरिवाचन क्षेत्र, चुनाव आयोग, जनप्रतनिधित्व अधनियिम ।

### मेन्स के लिये:

दो नरिवाचन क्षेत्रों के लिये एक उम्मीदवार का मुददा ।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने "संसदीय संप्रभुता" और "राजनीतिक लोकतंत्र" का मामला बताते हुए आम या वधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों को एक से अधिक नरिवाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकने की मांग वाली याचिका को खारजि कर दिया है ।

- याचिका में [जनप्रतनिधित्व अधनियिम, 1951 की धारा 33 \(7\)](#) की संवैधानकता को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि सरकारी खजाने पर अतरिकित बोझ डालना अनुचित है क्योंकि उम्मीदवार यदि दोनों सीटों पर जीत जाता है तो उसे एक सीट छोड़नी होगी तथा उपचुनाव अनविर्य रूप से होगा ।

## वर्तमान कानून:

- [जनप्रतनिधित्व कानून \(RPA\)](#) में ऐसा कोई प्रासंगिक प्रावधान नहीं है जिसके लिये इस मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो और यह मामला 'पूरी तरह से वधायी दायरे' और 'नीतिके दायरे' में आता है ।
- यह संसद की इच्छा पर निर्भर है जो यह नरिधारति करती है कि इस तरह के वकिल्प देकर राजनीतिक लोकतंत्र को आगे बढ़ाया जाए है या नहीं ।
- कई सीटों से चुनाव लड़ने के वभिन्न कारण हो सकते हैं, जिसमें वधायी क्षेत्र में संतुलन स्थापति करना तथा संसदीय लोकतंत्र को संवर्धति करना शामिल है ।
- यह मुददा [संसदीय संप्रभुता](#) के दायरे में आता है ।
  - इसमें कहा गया है कि संसद ने वर्ष 1996 में कानून में संशोधन कर नरिवाचन क्षेत्रों की संख्या दो तक सीमति कर दी थी, जबकि पहले एक उम्मीदवार कतिनी भी सीटों पर चुनाव लड़ सकता था ।
  - संसद पहले ही हस्तक्षेप कर चुकी है । संसद नरिचति रूप से पुनः हस्तक्षेप कर सकती है । जब वह ऐसा करना उचित समझेगी तो कार्यवाही की जाएगी । किसी की ओर से नषिकरयिता का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

## दोहरी उम्मीदवारी से संबंधति प्रावधान:

- [जनप्रतनिधित्व अधनियिम, 1951 की धारा 33\(7\)](#) के अनुसार, एक उम्मीदवार अधिकतम दो नरिवाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है ।
  - वर्ष 1996 तक अधिक नरिवाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी तब दो नरिवाचन क्षेत्रों पर सीमा नरिधारण हेतु RPA में संशोधन कयिा गया था ।
- वर्ष 1951 के बाद से कई राजनेताओं ने एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने के लिये इस कारक का उपयोग कयिा है- कभी प्रतदिवंद्वी के वोट को वभिाजति करने हेतु, कभी देश भर में अपनी पार्टी की शक्ति का दावा करने के लिये, कभी उम्मीदवार की पार्टी के पक्ष में नरिवाचन क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्र में पक्ष में लहर पैदा करने हेतु और लगभग सभी दलों द्वारा धारा 33(7) का शोषण कयिा गया है ।

## दोहरी उम्मीदवारी से संबंधति मुददे:

- संसाधनों की बरबादी:
  - कई नरिवाचन क्षेत्रों में प्रचार करना और चुनाव लड़ना उम्मीदवार तथा सरकार दोनों के लिये संसाधनों एवं धन की बरबादी हो सकती है ।

- किसी एक निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ने के बाद तुरंत वहाँ उपचुनाव कराया जाता है, जो सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ाता है।
  - उदाहरण के लिये वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वड़ोदरा और वाराणसी दोनों सीटों पर जीत हासिल करने के बाद वड़ोदरा में अपनी सीट छोड़ दी, जिस कारण वहाँ उपचुनाव हुआ।
- **हत्तियों पर मतभेद:**
  - एक से अधिक ज़िलों में चुनाव लड़ने से हत्तियों को लेकर मतभेद हो सकता है क्योंकि उम्मीदवार प्रत्येक ज़िले पर समान समय और ध्यान देने में सक्षम नहीं हो सकता है।
- **वर्षिधाभासी प्रावधान:**
  - **RPA की धारा 33(7)** एक ऐसी स्थिति की ओर ले जाती है जहाँ इसे उसी अधिनियम के दूसरे खंड- विशेष रूप से धारा 70 द्वारा नकार दिया जाएगा।
  - **जबकि 33(7)** उम्मीदवारों को दो सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति देता है, धारा 70 उम्मीदवारों को लोकसभा/राज्यसभा में दो निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने से प्रतिबंधित करती है।
- **मतदाताओं में भ्रम:**
  - विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता इस बात को लेकर भ्रमति हो सकते हैं कि कौन-सा उम्मीदवार उनका प्रतिनिधित्व करता है या उन्हें किसका समर्थन करना चाहिये।
- **भ्रष्टाचार की धारणा:**
  - कई निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने से उम्मीदवार के इरादों पर भी संदेह हो सकता है और यह आभास हो सकता है कि वह भ्रष्ट है, क्योंकि उम्मीदवार अपने चुने जाने की संभावना को पुष्ट करने के लिये ऐसा कर सकते हैं।
- **लोकतंत्र के लिये खतरा:**
  - दोहरी उम्मीदवारी को लोकतंत्र के लिये खतरे के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि यह निष्पक्ष और समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को कमजोर कर सकता है।

## आगे की राह

- **निर्वाचन आयोग** ने धारा 33(7) में संशोधन की सिफारिश की ताकि एक उम्मीदवार को केवल एक सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति मिल सके।
  - ऐसा वर्ष 2004, 2010, 2016 और 2018 में किया गया था।
- एक ऐसी प्रणाली तैयार की जानी चाहिये जिसमें यदि कोई उम्मीदवार दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है और दोनों में जीत जाता है, तो वह किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में बाद में कराए जाने वाले उपचुनाव का वित्तीय भार वहन करेगा।
  - यह राशा विधानसभा चुनाव के लिये 5 लाख रुपए और लोकसभा चुनाव हेतु 10 लाख रुपए होगी।
- "एक व्यक्ति, एक वोट" का सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। हालाँकि अब समय आ गया है कि इस सिद्धांत को "एक व्यक्ति, एक वोट; एक उम्मीदवार, एक निर्वाचन क्षेत्र" में संशोधित और वसितारित किया जाए।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

### प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

1. भारत का निर्वाचन आयोग पाँच सदस्यीय निकाय है।
2. केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3. निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से संबंधित विवादों का समाधान करता है।

### उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (d)

प्रश्न. आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचना कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2022)

## स्रोत: हदिसतान टाइम्स

